

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 28.03.2025

धोखाधड़ी कर चोरी का सामान बेचने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा के नेतृत्व में 30 नि० शिवकुमार जायसवाल मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 404/2023 धारा 411, 413, 414, 420, 468, 471, 120 बी भादवि व 3/7 ई०सी० एक्ट से संबंधित अभियुक्त रमेश यादव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा बैतालपुर डिपो से, टैंकर में तेल भरवाकर आने वाले टैंकर चालकों से डीजल व पेट्रोल को सस्ते दाम में खरीदकर ऊँचे दामों में बेचने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रमेश यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी इटवा थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 404/2023 धारा 411, 413, 414, 420, 468, 471, 120 बी भादवि व 3/7 ई०सी० एक्ट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि० शिवकुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. 30नि० प्रमोद कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. 30नि० रामगिरीश चौहान थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
4. कां० सूरज यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर